

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17072026-274587
SG-DL-E-17072026-274587असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183]	दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2026/आषाढ 23, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 107
No. 183]	DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2026/ASHADHA 23, 1948	[N. C. T. D. No. 107

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIस्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय
अधिसूचना

दिल्ली, 9 जुलाई 2026

फा.सं. डीएसएचएम/एनएलईपी/अधिसूच्य रोग/01/60/2025-26/Jbkdsh/50.—कुष्ठ रोग, जिसे हैनसन रोग के नाम से भी जाना जाता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है। यह मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ की श्लेष्म सतहों और आँखों को प्रभावित करता है। यदि समय पर इसका इलाज न किया जाए, तो कुष्ठ रोग इन अंगों को धीरे-धीरे तथा स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप विकृति, अंधापन और हाथ-पैरों में संवेदना हानि जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। कुष्ठ रोग का संचरण नाक तथा मुंह से निकलने वाली बूंदों रेस्परेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से होता है, जो अनुपचारित मामलों में निकट और बार-बार संपर्क में आने पर होता है। कुष्ठ रोग की औसत उष्मायन अवधि इन्क्यूबेशन पीरियड 5 से 7 वर्ष होती है, तथा इसके लक्षण 1 वर्ष के भीतर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन 20 वर्ष या उससे भी अधिक समय लग सकता है।

भारत सरकार 'कुष्ठ रोग मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सतत विकास लक्ष्य (एस,डी,जी) 3.3 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक "संक्रामक रोगों की महामारियों को समाप्त करना" है। वैश्विक रणनीति 2021-2030 के अनुरूप, भारत ने कुष्ठ रोग के प्रसार को रोकने की दिशा में प्रगति को गति देने के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2023-2027 शुरू की है।

वर्ष 2030 तक कुष्ठ रोग के संचरण को रोकने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उपयुक्त जन स्वास्थ्य उपायों तथा नीतिगत हस्तक्षेपों को लागू करने हेतु सभी स्तरों पर एक सुदृढ़ निगरानी और रोग रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करना महत्वपूर्ण है। इसलिए, कुष्ठ रोग की व्यापकता का पता लगाने और तदनुसार मानव स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जाने वाले जन स्वास्थ्य उपायों को प्राथमिकता देने के लिए, कुष्ठ रोग निगरानी को मजबूत करने हेतु सभी नए कुष्ठ रोग मामलों की अनिवार्य सूचना देना आवश्यक है। इससे कुष्ठ रोग की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप रणनीतियाँ विकसित करने में सहायता मिलेगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (एमओएचएफडब्ल्यू, जी ओ आई) द्वारा दिनांक 14 मई 2025 को पत्र संख्या डी.ओ. संख्या जेड-14020/05/2025-कु0 के माध्यम से समस्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे कुष्ठ रोग को अधिसूच्य रोग घोषित करें, जो सभी क्षेत्रों - सरकारी, निजी, गैर-सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और निजी चिकित्सा महाविद्यालयों सहित चिकित्सा संस्थानों पर लागू हो। सभी निदान किए गए मामलों की रिपोर्ट संबंधित जिले के जिला कुष्ठ रोग अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए।

कुष्ठ रोग के पुष्ट मामलों का निदान, प्रबंधन तथा अधिसूचना राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

अतः महामारी रोग अधिनियम, 1897 (1897 का अधिनियम संख्या 3) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल 'कुष्ठ रोग' को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 'अधिसूच्य रोग' घोषित करते हैं।

तदनुसार, सार्वजनिक, निजी तथा गैर-सरकारी संगठनों में कार्यरत सभी स्वास्थ्य कर्मियों और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं, जिनमें डॉक्टर, रोग विशेषज्ञ, सूक्ष्मजीवविज्ञानी तथा स्वास्थ्य देखभाल कर्मी शामिल हैं, को कुष्ठ रोग के सभी निदानित मामलों की सूचना दो सप्ताह के भीतर संबंधित जिले के जिला कुष्ठ रोग अधिकारी को अनिवार्य रूप से देनी होगी, इसकी एक प्रति राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) के राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी को भी अधिसूचना के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप के रूप में अनुलग्नक-I में तथा जिला कुष्ठ रोग अधिकारियों की सूची के रूप में अनुलग्नक-II में दी जाएगी। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा आगामी आदेशों तक वैध रहेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सी० एल० राँय, उप सचिव

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

NOTIFICATION

Delhi, the 9th July, 2026

No. F. DSHM/NLEP/NOTIFIABLE DISEASE/01/60/2025-26/Jbkdsh/50.—Leprosy, also known as Hansen's disease, is a chronic infectious disease caused by the bacillus *Mycobacterium leprae*. It primarily affects the skin, peripheral nerves, mucosal surfaces of the upper respiratory tract, and the eyes. If left untreated, leprosy can lead to progressive and permanent damage to these areas, resulting in

complications such as disfigurement, blindness, and loss of sensation in the extremities. Leprosy is transmitted via droplets, from the nose and mouth, during close and frequent contact with untreated cases. Having average incubation period of 5-7 years, the symptoms of leprosy can appear within 1 year but may take up to 20 years or even more to show.

Whereas, the Government of India is making concerted efforts to achieve Leprosy Free India. Sustainable Development Goal (SDG) Target 3.3 aims to “**end the epidemics of communicable diseases**” by 2030. In alignment with the Global Strategy 2021-2030, India has launched National Strategic Plan 2023-2027 to accelerate progress towards interrupting the transmission of Leprosy.

In order to achieve the goal of interruption of transmission of Leprosy by 2030, it is important to establish a strong surveillance and disease reporting system at all levels to take appropriate public health measures and policy interventions. Therefore, mandatory notification of all New Leprosy cases is required to strengthen the Leprosy surveillance to know the disease incidence and accordingly prioritization of public Health measures required to be undertaken in Human section. This will help to develop strategies as per regional requirements for prevention, control and elimination of Leprosy.

Whereas, the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India (MoHFW, GoI) in its letter vide **D.O No. Z-14020/05/2025-Lep. dated 14th May 2025** requested all States/UTs to make Leprosy a Notifiable disease, applicable across all sectors- government, private, non- governmental organizations, corporate healthcare providers and medical institutions including private medical colleges. There should be mandatory reporting of all diagnosed cases to District Leprosy Officer or Chief Medical Officer of the respective district.

Whereas the diagnosis, management & notification of confirmed Leprosy cases is as per the guidelines issued by National Leprosy Eradication Program, Govt. of India, from time to time.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897 (Act No 3 of 1897), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi hereby declares ‘Leprosy’ as a ‘Notifiable Disease’ in the National Capital Territory of Delhi.

Accordingly, all health personnel and field functionaries including Doctors, Pathologist, Microbiologists and health care workers in Public, Private and NGO sectors shall mandatorily notify all diagnosed cases of leprosy within two weeks to the District Leprosy Officer of the concerned district with a copy to the State Leprosy Officer, National Leprosy Eradication Programme (NLEP) in the format prescribed appended as Annexure-I and the list of District Leprosy Officers as Annexure-II to the notification. This notification shall come into force with immediate effect and shall remain valid till further orders.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
C.L. ROY, Dy. Secy.